लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4055
दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा कामगारों को पहचान कार्ड

4055. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में हथकरघा कामगारों की संख्या तथा उनमें से पहचान कार्ड प्राप्त करने वाले कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत आने वाले हथकरघा क्लस्टरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और क्या सुआलकुची इस सूची में शामिल है;

(ग) सीएचसीडीएस के अंतर्गत असम में क्लस्टरों को संवितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) असम के सुआलकुची में प्रवासी हथकरघा बुनकरों की संख्या तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार, असम में 12,83,881 हथकरघा कामगार हैं। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना में शामिल हथकरघा कामगारों को या तो पहचान कार्ड प्रदान किया गया है अथवा उन्हें ई-पहचान कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। नये पंजीकरण (चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना में छूटे हुए तथा नये बुनकरों एवं संबद्ध कामगारों), मौजूदा बुनकरों के ब्यौरों को एडिट करने तथा ई-पहचान कार्ड डाउनलोड करने के लिए 28 जनवरी 2025 को एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की गई। चूंकि, एडिशन/डिलिशन, अपडेशन आदि डानेमिक और निरंतर चलने वाली प्रकिया है।

(ख) और (ग): सिवसागर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को पूर्ववर्ती व्यापक हैंडलूम क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के तहत असम राज्य में वित्तीय सहायता के लिए चुना गया था और 2014-15 से 2021-22 तक 15.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। हालाँकि, सुआलकुची को सीएचसीडीएस के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। सुआलकुची, असम में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को वित्त वर्ष 2024-25 (21.03.2025 तक) के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत लिया गया और इसे अब तक 4.80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 (21.03.2025 तक) असम राज्य में एनएचडीपी योजना के तहत 83 क्लस्टरों के लिए 64.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ): प्रवासी हथकरघा बुनकरों की संख्या की जानकारी नहीं रखी जाती है। वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम सहित) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए)/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों के लिए सक्षम बनाया गया है। इस सुविधा के तहत, एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने अधिकार वाला खाद्यान्न उठा सकते हैं। एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत ओएनओआरसी के लिए अलग से पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****